जनपद-संतकबीरनगर

दिनाँक 19.10.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान पैर मे लगी गोली, अभियुक्त गिरफ्तार

***दिनाँक 17.10.2025 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ पानी मे कुछ मिला देने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया था। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 956/2025 धारा 137(2) 64(1)/123 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)V, 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनाँक 19.10.2025 को उक्त घटना से सम्बन्धित फरार अभियुक्त बदरे आलम पुत्र मो0 अकरम खां निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को उस्का खुर्द नहर की पुलिया पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान दाहिने पैर मे गोली लगी समय करीब 03:00 बजे रात्रि को गिरफ्तार किया गया था**

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 19.10.2025 को दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को उस्का खुर्द नहर की पुलिया से समय रात्रि 03:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बदरे आलम पुत्र मो0 अकरम खां निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01- एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर

02- एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

03- एक अदद खाली खोखा .315 बोर

घटना का विवरणः-

आज दिनाँक 19.10.2025 को रात्रि लगभग 03.00 बजे थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस व अपराधी के बीच उस्का खुर्द नहर की पुलिया के पास पर मुठभेड़ हुयी है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम बदरे आलम पुत्र मो0 अकरम खां निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर है, पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने के गोली लगी है तथा उसके पास से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, जेब से 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व तमंचे में फंसा 01 अदद खाली खोखा .315 बोर बरामद हुआ है।

अभियुक्त बदरे आलम पुत्र मो0 अकरम खां द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 मु0अ0स0 956/2025 धारा- 137(2),64(1),123 भा0न्या0सं0 व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)V, 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त बदरे आलम वांछित था, आज मुखबीरी सूचना के आधार पर उस्का खुर्द नहर की पुलिया के पास उपर फायर कर दिया, पुलिस के जवाबी फायर में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके पश्चात उक्त अभियुक्त का इलाज जिला अस्पताल जनपद संतकबीरनगर में चल रहा है व अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्येय, उ0नि0 श्री व0, उ0नि0 श्री राकेश कुमार, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, का0 बलराम यादव, का0 जयराम यादव।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के मामले थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को किया गिरफ्तार

जेल जाने के डर से पेशाब करने का बहाना बनाकर भागा अभियुक्त, मुठभेड़ के दौरान पैर मे लगी गोली, गिरफ्तार

दिनाँक 17.10.2025 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ पीने के पानी मे कुछ मिला कर देने जिससे बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया था । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 956/2025 धारा 137(2) 64(1)/123 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)V, 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 19.10.2025 को दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त बदरे आलम पुत्र मो0 अकरम खां निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आयुष्मान आरोग्य केंद्र, रौरापार से समय रात्रि 03:00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद लाते समय उस्का खुर्द नहर की पुलिया के पास पहुंचने पर अभियुक्त द्वारा पेशाब करने की इच्छा जाहिर की गई जिसके उपरांत अभियुक्त द्वारा जेल जाने के डर से भागने की कोशिश की गई, गिरफ्तारी टीम द्वारा घेर कर लगातार सरेंडर करने को कहा गया जिसके उपरांत गिरफ्तारी टीम द्वारा फायर किया गया जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर मे गोली लगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बदरे आलम पुत्र मो0 अकरम खां निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01- 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन।

घटना का विवरणः-

आज दिनाँक 18/19.10.2025 को उक्त घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बदरे आलम पुत्र मो0 अकरम खां निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आयुष्मान आरोग्य केंद्र, रौरापार से गिरफ्तार किया गया, उस्का खुर्द नहर की पुलिया के पास पहुंचने पर अभियुक्त द्वारा पेशाब करने की इच्छा जाहिर की गई जिसके उपरांत अभियुक्त द्वारा जेल जाने के डर से भागने की कोशिश की गई, गिरफ्तारी टीम द्वारा रूकने के लिए कहा गया फिर भी अभियुक्त भागने लगा पुनः पुलिस टीम द्वारा रूकने अपनी गिरफ्तारी देने हेतु सरेंडर करने को कहा गया,लेकिन अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की फिराक में था, जिसके उपरांत गिरफ्तारी टीम द्वारा सरेंडर करने की हिदायत देने पर जब अभियुक्त नहीं रूका तो फायर किया गया जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर मे गोली लगी। अभियुक्त उपरोक्त को समय

करीब 03:00 बजे रात्रि को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त का इलाज जिला अस्पताल जनपद संतकबीरनगर में चल रहा है व अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्येय, उ0नि0 श्री व0, उ0नि0 श्री राकेश कुमार, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, का0 बलराम यादव, का0 जयराम यादव।

- ***उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में बहु-बेटी सम्मेलन का किया गया भव्य आयोजन***

- ***कुल 16 स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन का सफल आयोजन, कुल 2424 महिलाओं/बालिकाओं द्वारा किया गया प्रतिभाग***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो अभियान एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद के सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत 16 स्थानों पर बहु-बेटी सम्मेलन एवं महिला सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें 2,424 महिलाएँ/बालिकाएं उपस्थित रही।

कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न गांवो में जाकर बहु-बेटी सम्मेलन आयोजित कर किया गया जागरूकता कार्यक्रम- *01- थाना कोतवाली खलीलाबाद* क्षेत्राअंतर्गत **तितौवा , उसका खुर्द और मटिहना**, *02- थाना दुधारा* ग्राम **बिगरा मीर, चिउटना, छपिया छीतौना, मुड़ाडीहा बेग**, *03- थाना धनघटा* ग्राम **भरवल पर्वता**, *04- थाना महुली* ग्राम **भिनखिनी चक, भिनखिनी खुर्द**, *05- थाना मेंहदावल-* **बाज़ार मेहदावल, सोनौरा, नगरपालिका तिराहा , पश्चिम टोला**, *06- थाना बखिरा-* ग्राम **झुंगिया**, *07- थाना बेलहरकला-* **ग्राम गोपाल पुर, लोहरौली**, *08- थाना धर्मसिंहवा-* **मेंहदूपार, अतरीनानकार , भुलकी, केंचुआखोर , गौरीराइ, सेवाइचपार**, *09- महिला थाना* द्वारा- **झुंगिया थाना बखिरा सन्त कबीर नगर, बखिरा बाजार, अमरडोभा** में महिलाओं, बहु-बेटियों एवं बालिकाओं को एकत्रित कर चौपाल के माध्यम से मिशन शक्ति 5.0 अभियान एवं शासन की विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि शामिल रहीं। महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों व कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की

जानकारी भी दी गई, जैसे वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि। चर्चा के दौरान गुड टच – बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध जैसे विषयों पर भी विस्तृत रूप से वार्ता की गई तथा उपस्थित महिलाओं को पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी और साथ ही महिलाओं से कहा गया कि वे निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 106 स्थानों पर 1729 वाहनों को किया गया चेक
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 262 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 13 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 08 चार पहिया वाहनों से उतरवाया गया हूटर
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 12 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 19 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 वाहनों को किया गया सीज
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 800 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 19.10.2025 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 172 स्थानों पर 2753 व्यक्तियों को किया गया चेक***
- ***धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना***
- ***163 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया***
- ***73 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही***
- ***1706 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों व स्कूलों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 33 स्थानों पर 439 व्यक्तियों को चेक किया गया, 05 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही व 413 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 19 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 108 व्यक्तियों को चेक किया गया, 33 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 18 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 95 व्यक्तियों को चेक किया गया, 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 26 स्थानों पर 196 व्यक्तियों को चेक किया गया, 08 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 22 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 27 स्थानों पर 385 व्यक्तियों को चेक किया गया, 19 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 340 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 26 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 16 स्थानों पर 460 व्यक्तियों को चेक किया गया, 08 शोहदे के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 135 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 24 स्थानों पर 540 व्यक्तियों को चेक किया गया, 07 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 400 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 18 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 21 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 340 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना, 25 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 210 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 20 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 06 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 190 व्यक्तियों को चेक किया गया, 01 शोहदे के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई, 175 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा दो पक्षो के मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत घोरांग से कालर द्वारा दो पक्षों के मारपीट विवाद में घायल 01 व्यक्ति (1.सूरज पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम घोरांग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दो पक्षों के मारपीट विवाद में घायल 01 व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली ले जाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुंचकर घायल को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सी0एच0सी0 मलौली ले जाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 शिवम यादव, हो0चा0 रामवीर चौधरी।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 261 वाहनों से 2,90,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 19.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 261 वाहनों से 2,90,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।